रजिस्ट्री सं० डी-(ी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 1975/फाल्गुन 8, 1896

No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 1975/PHALGUNA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th February 1975

G.S.R. 59(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Maternity Benefit (Mines) Rules, 1963, were published, as required by sub-section (1) of section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), on pages 2494-95 of the Gazette of India, Part II-Section 3 sub-section (i), dated the 28th September, 1974 with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 1061, dated the 13th September, 1974 for inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th September, 1974;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Maternity Benefit (Mines) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st March, 1975.

2. In the Maternity Benefit (Mines) Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the brackets and word "(Mines)", the brackets and words "(Mines and Circus)" shall be substituted.

3. In rule 2 of the said rules,—

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

'(aa) "circus" means an establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances;';

(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

'(b) "competent authority" means,—

(i) in relation to a coal mine, the Coal Mines Welfare Commissioner;

(ii) in relation to any other mine, the Chief Inspector of Mines; and

(iii) in relation to a circus, the Chief Labour Commissioner (Central);'

4. In the said rules, (including the Forms),—

(a) for the words "every mine" wherever they occur, the words "every mine" or circus" shall be substituted;

(b) for the words "the mine" wherever they occur, the words "the mine or circus" shall be substituted;

(c) for the words "a mine" wherever they occur, the words "a mine or circus" shall be substituted.

5. In Form 'K' of the said rules,—

(a) in clause (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 7,—

(i) the word "and" after the words "a coal mine" shall be omitted;

(ii) after the words "any other mines", the words "and to the Chief Labour Commissioner (Central) in the case of a circus" shall be inserted;

(iii) after the words "the Chief Inspector of Mines", the words "or of the Chief Labour Commissioner (Central)" shall be inserted;

(b) in paragraph 9,—

(1) in sub-paragraph (3),—

(i) the word "and" after the words "a coal mine" shall be omitted;

(ii) the words "and to the Chief Labour Commissioner (Central) in the case of a circus" shall be inserted at the end;

(2) in sub-paragraph (4), for the words "the Coal Mines Welfare Commissioner/ Chief Inspector of Mines", the words "the Coal Mines Welfare Commissioner or the Chief Inspector of Mines or the Chief Labour Commissioner (Central)" shall be substituted;

(c) in clause (b) of paragraph 11, for the words "Chief Inspector of Mines", the words "the Chief Inspector of Mines or the Chief Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

[No. F. S-65012/1/74-HI]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1975

सा० का० नि० 59(अ).—यतः प्रसूति प्रसुविधा (खान) नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिये नियमों का कतिपय प्ररुप, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1061, तारीख 13 सितम्बर, 1974 के साथ भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (1),

तारीख 28 सितम्बर, 1974 के पृष्ठ 2494-95 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधि. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, उन व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और यत : उक्त अधिसूचना 28 सितम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और यत : उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता की ओर से कोई आक्षेप या सुझाव नहीं प्राप्त हुये,

अत : अब, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्--

1. (1) इन नियमों का नाम प्रसूति प्रसुविधा (खान) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रसूति प्रसुविधा (खान) नियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया, है) में, नियम 1 उपनियम (1) में "(खानें)" कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर "(खानें और सर्कस)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, —

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात:--

"(कक) "सर्कस" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें अश्वारोहण कौशल, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन हेतु व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है; ";

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात :—

'(ख) सक्षम 'प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,--

(i) कोयला खान के संबंध में, कोयला खान कल्याण आयुक्त ;

(ii) किसी अन्य खान के संबंध में, खानों का मुख्य निरीक्षक ; और

(iii) सर्कस के संबंध में, मुख्य श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) ;' ।

4. उक्त नियमो में (जिनके अन्तर्गत प्ररुप भी हैं),—

(क) जहां कहीं भी "प्रत्येक खान" शब्द आए हैं उनके स्थान पर "प्रत्येक खान या सर्कस" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) जहां कहीं भी "खान" शब्द आया है उसके स्थान पर "खान या सर्कस" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) जहां कहीं भी "कोई खान", शब्द आया है "उसके स्थान पर कोई खान या सर्कस" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के प्ररूप ट में,—

(क) पैरा 7 के उप-पैरा (2) के खण्ड ख में, —

(i) "कोयला खान कल्याण आयुक्त" को "शब्दों के पश्चात् और" शब्द का प्रलोप किया जायगा ;

(ii) "किन्हीं खानों के मुख्य आयुक्त को" शब्दों के पश्चात् "और किसी सर्कस के संबंध में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को" शब्द अन्त: स्थापित किये जाएंगे ;

(iii) "खानों के मुख्य निरीक्षक" "शब्दों के पश्चात्, "या मुख्य श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 9 में ;—

(1) उपपैरा (3) में,

(i) "कोयला खान कल्याण आयुक्त को" शब्दों के पश्चात् "और" शब्द का लोप किया जायगा ;

(ii) अंत में "अपील कर सकता है" शब्दों के स्थान पर और सर्कस की दशा में "मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को अपील कर सकता है" शब्द अन्तः स्थापित किये जाएंगे ;

(2) उप-पैरा (4) में "कोयला खान कल्याण आयुक्त/खानों का मुख्य निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "कोयला खान कल्याण आयुक्त या खानों का मुख्य निरीक्षक या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 11 के खण्ड (ख) में, "खानों का मुख्य निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "खानों का मुख्य निरीक्षक" या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० एस–650 12/1/74-एच 1]

डी० एस० निम, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975